राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 84/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022/187
दायर दिनांक– 13.12.2022
निर्णय दिनांक– 14.06.2024

उनवानी–

1. धर्मनारायण पुत्र नून्दाराम
2. जयनारायण पुत्र नून्दाराम
   सर्वजाति बलाई, सर्वनिवासी परबतसर तह0 परबतसर जिला नागौर

––वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र मोहन
2. पप्पूलाल पुत्र मोहन
   सर्वजाति बलाई, सर्वनिवासी ग्राम मानपुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
3. आई0सी0आई0सी0आई बैंक शाखा किशनगढ़ जरिये प्रबंधक
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

––प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री ओमप्रकाश खोरवाल अधि0 वादीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी की राजस्व ग्राम मानपुरा में कृषि भूमि ख0न0 306/12 रकबा 4.8540 है0 एवं ख0न0 307/12 रकबा 0.1537 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा निहित है। वादीगण उक्त सहखातेदारी भूमि में बंटवारा करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण सहमत नहीं होने से वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार बंटवारा करवाने के अधिकारी है। वादीगण के हक–हिस्से व कब्जे वाली जमीन में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे व बाधा उत्पन्न नहीं करे और ना एजेन्टों से करावे इसलिए वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। वाद हेतुक दिनांक 06.12.2022 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण द्वारा जमीन का बंटवारा करवाने हेतु इंकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 3 को भूमि रहन होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है व प्रतिवादी संख्या 4 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। वादी साक्ष्य हेतु वादीगण द्वारा शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी0पी0सी0 पेश किये, जिन पर वादीगण के बयान लिये गये। वकील वादी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कराने के आदेश फरमावे व बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में कमिश्नरी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर पेश किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने अपनी सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 2 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्नानुसार होगी

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	पप्पूलाल पुत्र मोहन हि0 1/2 जाति बलाई सा.देह खातेदार रामचन्द्र पुत्र मोहन हि0 1/2 जाति बलाई सा.देह खातेदार	306/12/2	1.2135	बा. 2
		कुल किता–1	1.2135	
2	जयनारायण पुत्र नून्दाराम हि0 1/2 जाति बलाई सा0 परबतसर खातेदार धर्मनारायण पुत्र नून्दाराम हि0 1/2 जाति बलाई सा0 परबतसर खातेदार	306/12/1 306/12/3	1.8202 1.8203	बा. 2 बा. 2
		कुल किता–2	3.6405	

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

अंतिम डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 84 / 2022

1. धर्मनारायण पुत्र नून्दाराम
2. जयनारायण पुत्र नून्दाराम
   सर्वजाति बलाई, सर्वनिवासी परबतसर तह0 परबतसर जिला नागौर ––वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र मोहन
2. पप्पूलाल पुत्र मोहन
   सर्वजाति बलाई, सर्वनिवासी ग्राम मानपुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
3. आई0सी0आई0सी0आई बैंक शाखा किशनगढ़ जरिये प्रबंधक
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ –प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री मुकेश चौधरी आर.ए.एस. व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्वई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वयलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मानपुरा के ख0न0 306 / 12 रकबा 4.8540 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 2 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्नानुसार होगी

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	पप्पूलाल पुत्र मोहन हि0 1/2 जाति बलाई सा.देह खातेदार रामचन्द्र पुत्र मोहन हि0 1/2 जाति बलाई सा.देह खातेदार	306 / 12 / 2	1.2135	बा. 2
		कुल किता–1	1.2135	
2	जयनारायण पुत्र नून्दाराम हि0 1/2 जाति बलाई सा0 परबतसर खातेदार धर्मनारायण पुत्र नून्दाराम हि0 1/2 जाति बलाई सा0 परबतसर खातेदार	306 / 12 / 1 306 / 12 / 3	1.8202 1.8203	बा. 2 बा. 2
		कुल किता–2	3.6405	

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 14.06.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)